अध्याय 2

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (विभाग)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

2.1 कम ब्याज प्रभारों के विलंबित दावे के कारण राज्य के राजकोष को हानि

विभागीय अधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम से ₹ 161.10 करोड़ के ब्याज प्रभारों के दावों को 199 से 921 दिनों तक विलंबित किया जिसके परिणामस्वरूप कैश क्रेडिट पर ब्याज के कारण ₹ 13.15 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की गलत व्याख्या के कारण ₹ 30.68 करोड़ के कम दावे किए गए थे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग भारतीय स्टेट बैंक से कैश क्रेडिट का लाभ उठाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से धान की खरीद करता है। भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी के समय विभाग कस्टम मिल्ड राइस की अनंतिम दरों पर दावे करता है जिसमें मंडी श्रम प्रभार, शुष्कता प्रभार, ब्याज प्रभार[1] इत्यादि शामिल होते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ विपणन सीजन 2016-17 तक दो महीने की निश्चित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया गया था। हालांकि, भारत सरकार ने ब्याज प्रभारों (खरीफ विपणन सीजन 2013-14 से प्रभावी) के संबंध में संशोधन (नवंबर 2015) किए जो निम्नानुसार हैं:

(i) अनुमोदित खरीद अवधि के भीतर अर्थात् 1 अक्तूबर से 15 दिसंबर तक, भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किए गए कस्टम मिल्ड राइस के लिए अनुमोदित खरीद अवधि की शुरुआत से अर्थात् 1 अक्तूबर से कस्टम मिल्ड राइस की वास्तविक डिलीवरी की तारीख तक, आधी अवधि के लिए ब्याज प्रभारों की अनुमति होगी।.

(ii) अनुमोदित खरीद अवधि के बाद अर्थात् 15 दिसंबर के बाद, भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर किए गए कस्टम मिल्ड राइस के लिए अनुमोदित खरीद अवधि के आधे (अर्थात् 37 दिन) और अनुमोदित खरीद अवधि के बाद कस्टम मिल्ड राइस की वास्तविक डिलीवरी की तारीख तक की पूरी अवधि के लिए ब्याज प्रभारों की अनुमति होगी।

छः[2] जिलों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रकों (जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों) के अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च और अगस्त 2020 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि खरीफ विपणन सीजन[3] 2017-18 और 2018-19 के लिए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों

---

1 धान की खरीद से लेकर भारतीय खाद्य निगम को चावल की डिलीवरी की तारीख तक की अवधि के लिए विभाग द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज प्रभार।

2 (i) अंबाला, (ii) फतेहाबाद, (iii) कैथल, (iv) करनाल, (v) कुरुक्षेत्र और (vi) यमुनानगर।

3 1 अक्तूबर से कस्टम मिल्ड राइस की डिलीवरी की अंतिम तिथि तक जैसा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा बढ़ाया गया।

ने भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड राइस की सुपुर्दगी के समय बिक्री बिलों में नई व्यवस्था के अनुसार ब्याज प्रभारों का दावा नहीं किया था। ₹ 161.10 करोड़ के ब्याज प्रभारों के समेकित अनुपूरक दावों को विलंब से प्रस्तुत किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज प्रभारों की प्राप्ति में 199 से 921 दिनों तक का विलंब हुआ, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक	तक का विलंब (दिनों में)	विलंबित ब्याज दावे की राशि	राजकोष पर ब्याज भार
करनाल	654	41.89	2.74
कुरुक्षेत्र	921	42.65	5.30
कैथल	749	21.83	2.17
अंबाला	502	14.48	1.47
यमुनानगर	427	12.52	0.72
फतेहाबाद	199	27.73	0.75
कुल		161.10	13.15

चूंकि विभाग खरीद गतिविधियों के लिए कैश क्रेडिट का लाभ उठाता है, यह विभाग के वित्तीय हित में है कि वह समय पर प्रतिपूर्ति का दावा करे और ब्याज की देयता को कम करे। इस प्रकार, विभाग ने ब्याज प्रभारों की प्राप्ति में विलंब के कारण ₹ 13.15 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया।

ब्याज प्रभार के दावों की प्राप्ति में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक-वार विलंब और उन पर ₹ 13.15 करोड़ (खरीफ विपणन सीजन 2017-18 के लिए ₹ 6.80 करोड़ और खरीफ विपणन सीजन 2018-19 के लिए ₹ 6.35 करोड़) की हानि *परिशिष्ट 2.1* में दी गई है।

आगे, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि अंबाला, करनाल और यमुनानगर के जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने कस्टम मिल्ड राइस की वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख तक अनुमोदित खरीद अवधि की शुरुआत से आधी अवधि के लिए गलती से ब्याज प्रभारों का दावा किया था जबकि 15 दिसंबर के बाद ब्याज प्रभार पूरी अवधि के लिए वसूलनीय थे। इस प्रकार, उन्होंने खरीफ विपणन सीजन 2017-18 और 2018-19 के लिए ₹ 30.68 करोड़ की कम ब्याज राशि का दावा किया गया *(परिशिष्ट 2.2)*।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने ₹ 28.65 करोड़ का दावा किया और ₹ 27.56 करोड़ प्राप्त किए जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक	लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित कम दावे	जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक द्वारा भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किए गए दावे	प्राप्त राशि
अंबाला	5.15	5.04	5.04
करनाल	17.97	15.71	15.70
यमुनानगर	7.56	7.90	6.82
कुल	30.68	28.65	27.56

खरीफ विपणन सीजन 2017-18 और 2018-19 के लिए कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति के समय नियमित बिलों के माध्यम से ₹ 161.10 करोड़ के ब्याज प्रभारों का दावा करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज प्रभारों की प्राप्ति में देरी हुई जिसके कारण राज्य के राजकोष पर ₹ 13.15 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की गलत व्याख्या के कारण ₹ 30.68 करोड़ के कम दावे किए गए थे।

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने सूचित किया (मार्च 2021) कि संबंधित जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को ब्याज की परिहार्य हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों की सूची देने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों को भी निर्देश जारी (मार्च 2021) किए गए थे कि कस्टम मिल्ड राइस के मूल बिलों के साथ भारतीय खाद्य निगम को ब्याज के दावे प्रस्तुत करें। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दावे प्रस्तुत करने में कुछ मुद्दे थे।

राज्य सरकार ने आगे प्रस्तुत किया (सितंबर 2021) कि भारतीय खाद्य निगम से ब्याज प्रभारों का विलंबित दावा मुख्य रूप से कर्मचारियों की तैनाती न करने और कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने, कस्टम मिल्ड राइस की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति से पहले दावों का निपटान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा मौखिक रूप से इनकार करने के कारण था। भारतीय खाद्य निगम भी आपत्ति नहीं कर रहा था जब कम दावे प्रस्तुत किए गए थे। यह भी सूचित किया गया था कि जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों ने ब्याज की हानि के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के नामों की सूचना नहीं दी।

सिफारिश: राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण दावे समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार करे। इसके अतिरिक्त, विभाग भारतीय खाद्य निगम से कम ब्याज प्रभारों के विलंबित दावों के लिए विभागीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व नियत करने पर विचार करे जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा।

2.2 निगरानी पर अनियमित व्यय

जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक, करनाल ने विभागीय मानकों से अधिक संख्या में हेमदा, लाठर तथा भाटिया प्लिंथों में निगरानी स्टाफ की तैनाती की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा गेहूं की खरीद करता है और इसे भारतीय खाद्य निगम को भेजे जाने तक ढके हुए गोदामों और खुले प्लिंथो में रखता है। भंडारित गेहूं की सुरक्षा के लिए विभाग ने सेवा प्रदाताओं के माध्यम से निगरानी स्टाफ तैनात किए। निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति ने भंडारित खाद्यान्नों की निगरानी और रख-रखाव के लिए सांकेतिक मानदंड जारी (मई 2016) किए। मानकों के अनुसार, 10,000-25,000 मीट्रिक टन के मध्य खुले गेहूं के स्टॉक के लिए या चारदीवारी रहित पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले खुले प्लिंथ

के लिए तीन शिफ्टों[4] में दस चौकीदारों को तैनात किया जा सकता है। चारदीवारी रहित आस-पास के एक ही क्षेत्र में विभिन्न फर्मों के प्लिंथ, निगरानी स्टाफ की तैनाती के उद्देश्य से एक प्लिंथ बन जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों द्वारा निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति को सभी तथ्यों और औचित्य के साथ प्रत्येक भंडारण बिंदु के लिए निगरानी की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित था तथा निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति की मंजूरी के अनुसार निगरानी स्टाफ को तैनात किया जा सकता है।

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2019 और मई 2020 के मध्य) के दौरान यह देखा गया था कि मैसर्ज एस.एम. इंटरप्राइजेज, कैथल को निगरानी स्टाफ उपलब्ध करवाने का कार्य सौंपा गया था। विभाग ने गेहूं के भंडारण के लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए तीन खुले प्लिंथ लिए थे, अर्थात् हेमदा: 45,000 मीट्रिक टन[5], लाठर: 25,000 मीट्रिक टन और भाटिया[6]: 25,700 मीट्रिक टन क्षमता। इन खुले प्लिंथ का क्षेत्रफल एकड़ में 5.78 एकड़ (हेमदा); 3.21 एकड़ (लाठर) और 3.30 एकड़ (भाटिया) है। नियमानुसार प्रत्येक प्लिंथ की निगरानी के लिए अधिकतम दस चौकीदारों को तैनात किया जाना चाहिए।

तथापि, सेवा प्रदाता के बिलों की संवीक्षा के दौरान यह अवलोकित किया गया था कि खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षकों ने प्लिंथों को विभाजित कर दिया और तीन प्लिंथों पर अधिकतम 30 चौकीदारों के मानदंड के विरूद्ध 43 एवं 112 के मध्य चौकीदार मासिक आधार पर तैनात किए गए थे *(परिशिष्ट 2.3)*। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल ने अतिरिक्त निगरानी स्टाफ की तैनाती के लिए निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया। अप्रैल 2018 और सितंबर 2019 के मध्य, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल ने 1,384 चौकीदारों के लिए कुल ₹ 3.22 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से मासिक आधार पर 856 अतिरिक्त चौकीदारों की तैनाती के लिए ₹ 1.99 करोड़ *(परिशिष्ट 2.4)* का अनियमित व्यय किया गया था।

इस प्रकार, विभागीय मानकों के उल्लंघन में अतिरिक्त निगरानी स्टाफ की तैनाती हेतु प्लिंथों का विभाजन कर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, करनाल ने ₹ 1.99 करोड़ का अनियमित व्यय किया था।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (जनवरी 2021); तथा उसके बाद मार्च और जुलाई 2021 में अनुस्मारक जारी किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

---

[4] शिफ्ट (i): सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक (तीन चौकीदार); शिफ्ट (ii): दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक (तीन चौकीदार); और शिफ्ट (iii): रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक (चार चौकीदार)।

[5] मीट्रिक टन में गोदाम की क्षमता की गणना एकड़ में क्षेत्र को वर्ग फुट में 5.6 से विभाजित करके की जा सकती है। इस प्रकार, इन गोदामों का क्षेत्रफल इस प्रकार होगा: हेमदा: 5.78 एकड़, लाठर: 3.21 एकड़ और भाटिया: 3.30 एकड़।

[6] भाटिया खुले प्लिंथ की क्षमता वर्ष 2019-20 के लिए बढ़कर 75,000 मीट्रिक टन हो गई।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

सिफारिश: राज्य सरकार अधिक निगरानी स्टाफ की तैनाती एवं ₹ 1.99 करोड़ का अनियमित व्यय करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षकों एवं जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक का उत्तरदायित्व नियत करने पर विचार करे।

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग

2.3 सरकारी निधियों की पार्किंग

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने सात जिला खेल परिषदों और एक नवगठित खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को मार्च 2016 से जनवरी 2018 के मध्य तत्काल आवश्यकता के बिना ₹ 10.09 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप चार साल से अधिक समय तक निधियों को सरकारी खातों के बाहर रखा गया और राज्य को ₹ 3.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 2.10 (बी) 5 में यह प्रावधान है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह देखना चाहिए कि कोषागार से कोई राशि तब तक नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो या पहले से ही स्थायी अग्रिम से भुगतान न किया गया हो। ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए कोषागार से अग्रिम आहरित करने की अनुमति नहीं है, जिनके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना हो। वित्त विभाग ने भी विशिष्ट निर्देश जारी किए (फरवरी 2009) कि बजटीय आवंटन के बल पर संचित निधि में से आहरित निधियों को रखने की अनुमति नहीं है तथा यह गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए किए गए बजटीय आवंटन को समेकित निधि से निकालने की अनुमति नहीं है और वित्तीय वर्ष के समापन के बाद किसी भी तरह से और किसी भी औचित्य/योग्यता/धारणा के बिना इसे अपने पास रखने की अनुमति नहीं है और यह गंभीर अनियमितता है।

निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग (विभाग) हरियाणा, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2018) और बाद में एकत्र की गई सूचना (जनवरी 2021) से पता चला कि राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष – 2204 - खेल एवं युवा सेवाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक प्लान के अंतर्गत राज्य में विभिन्न स्थानों पर 50 बिस्तरों वाले खेल छात्रावासों का निर्माण करने के लिए ₹ 3.11 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अक्तूबर 2016)। विभाग ने मार्च 2016 और जनवरी 2018 के मध्य सात[7] जिला खेल परिषदों[8] को ₹ 6.23 करोड़ जारी किए। छः जिला खेल परिषदों ने निधियों को बचत बैंक खातों में रखा जबकि जिला खेल परिषद, झज्जर ने दिसंबर 2016 में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

[7] (i) भिवानी: ₹ एक करोड़ (मार्च से जून 2016); (ii) फतेहाबादः ₹ एक करोड़ (जून 2016); (iii) हिसारः ₹ एक करोड़ (जून 2016); (iv) झज्जरः ₹ एक करोड़ (जून 2016); (v) करनालः ₹ 0.63 करोड़ (जनवरी 2018); (vi) मेवातः ₹ 0.60 करोड़ (मार्च 2017); (vii) सिरसाः ₹ एक करोड़ (जून 2016)।

[8] हरियाणा खेल परिषद अधिनियम, 2016 की धारा 9 (1) के अंतर्गत गठित जिसमें संबंधित उपायुक्त अध्यक्ष के रूप में और जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी सचिव के रूप में कार्य करें।

के पास निधि जमा की। चार जिलों[9] में भूमि की अनुपलब्धता तथा मुख्य वास्तुकार, हरियाणा द्वारा फतेहाबाद, हिसार और सिरसा में ड्राईंग एवं साइट प्लान तैयार न करने के कारण जनवरी 2021 तक इन सात खेल छात्रावासों में से किसी पर भी कोई कार्य शुरू नहीं किया गया था।

विभाग ने जिला खेल परिषदों को निधियां जारी कीं और इन्हें किसी तत्काल आवश्यकता के बिना, क्योंकि छात्रावासों के लिए साइट और ड्राइंग को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया। निधियां चार वर्षों से अधिक समय तक जिला खेल परिषदों के पास अवरुद्ध रहीं जिसने वित्तीय नियमों के प्रावधानों और वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन किया। जिला खेल परिषद, करनाल ने जनवरी 2020 में सरकारी खजाने में प्राप्ति के रूप में ₹ 0.63 करोड़ की राशि जमा की। ₹ 5.60 करोड़ की शेष निधियां अभी भी पांच जिला खेल परिषदों और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के पास पड़ी थीं (मई 2021)। ₹ 6.23 करोड़ की राशि की पार्किंग के परिणामस्वरूप न केवल संबंधित वर्षों के व्यय का अधिक विवरण हुआ बल्कि राज्य पर ₹ 2.18 करोड़[10] का ब्याज भार भी बढ़ा *(परिशिष्ट 2.5)*।

निदेशक, खेल एवं युवा कार्यक्रम ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2021) और सूचित किया कि चार जिला खेल परिषदों, जहां भूमि उपलब्ध नहीं थी, को राज्य सरकार के प्राप्ति शीर्ष में राशि जमा करने के निर्देश जारी (सितंबर 2020) किए गए थे तथा तीन छात्रावासों के लिए ड्राईंग को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य वास्तुकार को अनुस्मारक जारी किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भूमि की उपलब्धता और साइट प्लान सुनिश्चित किए बिना ₹ 6.23 करोड़ जारी किए गए थे और निधियां चार वर्षों से अधिक समय से सरकारी खातों से बाहर जिला खेल परिषदों के पास पड़ी थीं।

(ii) राज्य सरकार ने राज्य में शारीरिक गतिविधि एवं खेलकूद को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने और विकसित करने तथा गुणवत्तापूर्ण खेलकूद मूलभूत संरचना को विकसित करने के उद्देश्य से खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नामक सोसायटी का गठन (मार्च 2016) किया। राज्य सरकार ने शीर्ष 2204 - खेल एवं युवा सेवाएं (योजना) – 104 - खेल एवं क्रीड़ा, 57 - मूलभूत संरचना योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में मार्च 2017 में सोसायटी को ₹ 3.86 करोड़ संस्वीकृत एवं जारी किए। निधियां सोसायटी के बचत बैंक खाते में जमा कर दी गई थीं। निधियों का उपयोग नहीं किया गया और आज तक (दिसंबर 2020) अवरुद्ध रहीं क्योंकि सोसायटी का भवन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं सौंपा गया था और निर्माण गतिविधियों के लिए कोई तकनीकी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, किसी तत्काल आवश्यकता और उचित योजना के बिना ₹ 3.86 करोड़ जारी किए गए थे।

---

[9] भिवानी, झज्जर, करनाल और नूंह।

[10] राज्य सरकार के उधारों की औसत दर वर्ष 2016-17 हेतुः 8 प्रतिशत, 2017-18 हेतुः 8.10 प्रतिशत, 2018-19 हेतुः 8.81 प्रतिशत और 2019-20 हेतुः 8.31 प्रतिशत = 8.30 प्रतिशत।

विभाग ने सात जिला खेल परिषदों तथा नवगठित खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को तत्काल आवश्यकता के बिना ₹ 10.09 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप निधियां चार वर्षों से अधिक समय से सरकारी खातों के बाहर रहीं और राज्य को ₹ 3.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (अप्रैल 2021); और उसके बाद जून 2021 में अनुस्मारक जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि चार जिलों अर्थात् फतेहाबाद, सिरसा, हिसार और नूंह में छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य से संबंधित मामले को साइट और ड्राईंग के अंतिमकरण के पश्चात् जल्द ही शुरू किया जाएगा और शेष मामलों में निधियां सरकार के प्राप्ति शीर्ष में जमा की जा रही हैं।

सिफारिश: राज्य सरकार एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करने पर विचार करे ताकि निधियों को सरकारी खाते के बाहर न रखा जा सके।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

2.4 पट्टा धन की अवसूली के कारण हानि

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) ने सैक्टर 4, रेवाड़ी में स्थित बैंक्वेट हॉल को पट्टेदार को सौंपने में एक वर्ष से अधिक के विलंब के कारण **₹** 0.49 करोड़ और पट्टा धन का भुगतान न करने पर भी पट्टेदार को संपत्ति से बेदखल न करने तथा चार वर्ष तक पट्टा धन की वसूली न करके अनुचित उपकार करने के कारण **₹** 2.95 करोड़ की हानि उठाई।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 (अधिनियम) की धारा 15 (3) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अपनी किसी भी भूमि या भवन को ऐसे नियमों एवं शर्तों पर पट्टे पर देने के लिए अधिकृत करती है, जैसा कि वह प्रदान कर सकता है। अधिनियम की धारा 16 में यह प्रावधान है कि जहां कोई व्यक्ति धारा (15) के अंतर्गत किसी भूमि या भवन के किसी पट्टे के संबंध में देय किसी किराए के भुगतान में चूक करता है तो उससे ऐसी राशि भू-राजस्व के बकायों की तरह वसूल की जा सकती है। अधिनियम की धारा 18 (1) में यह प्रावधान है कि यदि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के किसी परिसर पर कब्जा करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति ने दो महीने से अधिक की अवधि के लिए कानूनी रूप से देय किराए का भुगतान नहीं किया है, तो कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उस व्यक्ति को परिसर/भूमि या उस पर निर्मित भवन से बेदखल करेगा और उस पर कब्जा करेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो और ऐसे व्यक्ति से इस तरह के उपायों पर खर्च की गई लागत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सैक्टर 4, रेवाड़ी में स्थित बैंक्वेट हॉल को पट्टे पर देने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं, जिसके लिए दो बिड प्राप्त हुईं। प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा मार्च 2014 में बिड खोली गई थीं। मैसर्ज न्यू वैरायटी डेकोरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (पट्टेदार) की बिड को अनुमोदित किया गया था और पट्टेदार को बैंक्वेट हॉल का पट्टा तीन वर्षों के लिए 'जहां है जैसा है' के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया (जून 2014) गया था:

- ₹ 3.78 लाख का अग्रिम मासिक किराया और सेवा कर प्रत्येक माह की 7 तारीख को पट्टेदार द्वारा जमा करवाया जाना था और विलंब की स्थिति में 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय था।

- पट्टेदार द्वारा ₹ 13.60 लाख अर्थात् तीन वर्ष के लिए कुल पट्टा धन के 10 प्रतिशत के बराबर, की जमानत राशि जमा करवाई जानी अपेक्षित थी।

- सहमत नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पट्टे को समाप्त करने या रद्द करने के अतिरिक्त जमानत राशि का पूरा या कुछ हिस्सा जब्त करने का हकदार था। निरसन पर, पट्टेदार को बिना किसी प्रतिरोध एवं अवरोध के परिसर को छोड़ना एवं खाली करना था और परिसर का पूरा नियंत्रण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को देना था।

- आरंभिक पट्टा अवधि तीन वर्ष की थी जिसे मासिक पट्टे में 25 प्रतिशत की और वृद्धि के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

संपदा अधिकारी, रेवाड़ी के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2019) के दौरान यह अवलोकित किया गया था कि अनुबंध 2 सितंबर 2014 को किया गया था लेकिन ₹ 13.60 लाख की जमानत राशि दस माह की समाप्ति के बाद (जुलाई 2015) पट्टेदार द्वारा जमा करवाई गई थी। आगे यह भी देखा गया था कि आवश्यक सेवाओं के प्रावधान में कुछ कमियों के कारण 13 माह[11] की देरी के बाद नवंबर 2015 में पट्टेदार को कब्जा सौंपा जा सका जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 0.49 करोड़ की हानि हुई। कब्जा प्राप्त करने के बाद पट्टेदार ने नवंबर 2015 के महीने के लिए केवल ₹ 4.31 लाख (लाइसेंस फीस ₹ 3.78 लाख + सेवा कर) की एक किस्त का भुगतान किया और उसके बाद किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था।

[11] अनुबंध की तिथि अर्थात् सितंबर 2014 से कब्जे की तिथि से नवंबर 2015 तक: ₹ 3.78 लाख * 13 = ₹ 49.14 लाख।

दिसंबर 2015 से मासिक पट्टा धन के भुगतान में चूक के बावजूद संपदा अधिकारी, रेवाड़ी ने अधिनियम की धारा 16 (2) एवं 18 (1) के अंतर्गत पट्टा अनुबंध निरस्त करने, पट्टेदार को संपत्ति से बेदखल करने तथा भू-राजस्व के बकाया के रूप में देयों की वसूली हेतु नोटिस जारी नहीं किए। संपदा अधिकारी, रेवाड़ी ने मार्च 2019 तक अर्थात् अक्तूबर 2018 में पट्टा अनुबंध की तीन वर्ष की समाप्ति के बाद भी, 40 माह के बकाया देयों के भुगतान के लिए पट्टेदार को नोटिस भेजना जारी रखा। पट्टेदार के साथ अनुबंध समाप्ति अवधि के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया था और अप्रैल 2019 में ही समाप्त किया गया। इस प्रकार, पट्टेदार ने अवैध रूप से नवंबर 2018 से अक्तूबर 2019 में संपत्ति से बेदखली तक परिसर पर कब्जा जारी रखा। लेकिन आज तक पट्टेदार से कोई राशि वसूल नहीं की गई। संपदा अधिकारी, रेवाड़ी ने ₹ 2.02 करोड़ की वसूली के लिए एक कानूनी नोटिस जारी किया (जनवरी 2020) लेकिन उसके बाद कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई। मार्च 2021 तक, पट्टेदार से कुल ₹ 2.95 करोड़ की राशि वसूलनीय थी (दिसंबर 2015 से सितंबर 2019 की अवधि के लिए मूल पट्टा राशि
₹ 1.97 करोड़ और ब्याज राशि ₹ 0.98 करोड़)।

इस प्रकार, बैंक्वेट हॉल को पट्टेदार को सौंपने में एक वर्ष से अधिक की देरी के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 0.49 करोड़ की हानि हुई और यहां तक कि चार साल तक लीज की राशि का भुगतान न करने और लीज की राशि की वसूली न करने पर भी पट्टेदार को अनुचित लाभ देकर संपत्ति से बेदखल न करने के कारण ₹ 2.95 करोड़ की हानि हुई।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (अप्रैल 2021); और उसके बाद जून और अगस्त 2021 में अनुस्मारक जारी किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि विभाग द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के प्रयास लिए जा रहे थे और जमानत राशि को जब्त कर लिया गया है।

सिफारिश: राज्य सरकार हुडा अधिनियम के प्रावधानों और अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार पट्टेदार के विरूद्ध अपेक्षित कार्रवाई न करके अनुचित लाभ देने के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करने पर विचार करे जिसके कारण वसूली को भू-राजस्व के बकाया के रूप में लेने के साथ-साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को ₹ 2.95 करोड़ की हानि हुई।

2.5 ठेकेदार से क्षतिपूर्ति की अवसूली

कार्यकारी अभियंता, ह.श.वि.प्रा. मंडल संख्या 1, फरीदाबाद ने एक ठेकेदार से उसके जोखिम एवं लागत पर सैक्टर 61, फरीदाबाद में जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज उपलब्ध करवाने एवं बिछाने के कार्य को पूर्ण करने पर अधिक व्यय तथा कार्य के पूर्ण होने में विलंब के लिए लगाई गई क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 1.61 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

मुख्य प्रशासक, ह.श.वि.प्रा., पंचकुला ने सैक्टर 61, ट्रांसपोर्ट नगर, फरीदाबाद में जलापूर्ति (₹ 3.76 करोड़), सीवरेज (₹ 1.56 करोड़) एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज (₹ 3.49 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए ₹ 8.81 करोड़ के तीन प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किए (अगस्त 2014)। जलापूर्ति, सीवरेज एवं ड्रेनेज सहित तीनों कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 6.90 करोड़ की निविदा आमंत्रित करने हेतु एक समेकित नोटिस तैयार किया गया था।

ह.श.वि.प्रा. ने मैसर्ज पीयूष कॉलोनाइजर लिमिटेड (जुलाई 2015) (ठेकेदार ए) के साथ सैक्टर 61, फरीदाबाद में जलापूर्ति, सीवरेज और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज उपलब्ध कराने और बिछाने के कार्य के निष्पादन के लिए ₹ 5.52 करोड़ का अनुबंध किया। अनुबंध समझौते की शर्तों के अनुसार, अनुबंध को 12 महीने की समय सीमा के साथ अर्थात् जुलाई 2016 तक पूरा किया जाना था। अनुबंध की शर्तों के क्लॉज 2 के अनुसार यदि ठेकेदार समय पर कार्य पूरा करने में विफल रहता है तो वह कार्य की अनुमानित लागत की अधिकतम दस प्रतिशत राशि को पेनल्टी के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यकारी अभियंता को भी अनुबंध को रद्द करने और पहले ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर दूसरे ठेकेदार से कार्य निष्पादित करवाने के लिए प्राधिकृत किया गया था। आगे कार्य की अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत के बराबर जमानत राशि सफल बिडदाता से प्राप्त की जानी थी और हरियाणा लोक निर्माण कोड में परिकल्पना की गई है कि कार्यकारी अभियंता का यह कर्तव्य होगा कि वह जारीकर्ता बैंक से सीधे बैंक गारंटी की वास्तविकता के बारे में स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करे।

ठेकेदार से प्रदानगी राशि के पांच प्रतिशत के बराबर ₹ 28.00 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी (विजया बैंक द्वारा 09 जुलाई 2015 को जारी 30 जून 2018 तक वैध) प्राप्त की गई थी।

ठेकेदार ने दिसंबर 2015 तक कार्य प्रारंभ नहीं किया तथा कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार पर अनुमानित लागत के पांच प्रतिशत अर्थात् ₹ 34.50 लाख के बराबर पेनल्टी लगाई (07 जनवरी 2016)। इसके बाद, ठेकेदार ने कार्य प्रारंभ किया लेकिन निर्धारित तिथि अर्थात् जुलाई 2016 तक कार्य पूरा नहीं किया। कार्यकारी अभियंता ने क्षतिपूर्ति को अनुमानित लागत राशि के पांच प्रतिशत से बढ़ाकर (19 अप्रैल 2017) 10 प्रतिशत अर्थात् ₹ 69 लाख कर दिया तथा उसे कार्य पूरा करने और सात दिनों के भीतर प्रगति दिखाने की सलाह दी। लेकिन 24 माह बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा था। परिणामस्वरूप कार्यकारी अभियंता ने जुलाई 2017 में ठेका रद्द कर दिया। अक्तूबर 2016 तक ठेकेदार को 10वें एवं रनिंग बिल तक ₹ 2.90 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका था।

शेष कार्य के लिए विज्ञापन मूल ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर तैयार किया गया था। मुख्य अभियंता ने ₹ 3.20 करोड़ के कार्य का अनुमोदन (मार्च 2018) किया। निविदा प्रक्रिया के बाद मैसर्ज गार्गा एसोसिएट्स (ठेकेदार बी) को अधिकतम दरों के 19.86 प्रतिशत से अधिक राशि पर ₹ 3.79 करोड़ तक सीमित कर छः महीने की समय सीमा के साथ कार्य आवंटित किया गया था (जून 2018)। एजेंसी ने साइट पर कार्य पूरा कर लिया है। मार्च 2019 तक 5वें एवं रनिंग बिल तक ठेकेदार को ₹ 3.60 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। अंतिम बिल अभी तक तैयार होना शेष है। 5वें एवं चालू बिल तक की राशि ₹ 0.92 करोड़ *(परिशिष्ट 2.6)* ठेकेदार ए से उसके जोखिम एवं लागत पर किए गए अधिक व्यय के कारण वसूलनीय थी। इस प्रकार, कुल ₹ 1.61 करोड़ (क्लॉज 2 क्षतिपूर्तिः ₹ 0.69 करोड़ + क्लॉज 3 क्षतिपूर्तिः ₹ 0.92 करोड़) ठेकेदार ए से वसूलनीय थे।

₹ 0.28 करोड़ की बैंक गारंटी को भुनाया नहीं जा सका क्योंकि बैंक ने बैंक गारंटी को अस्वीकार कर दिया और सूचित किया (मई 2018) कि उन्होंने इसे जारी नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि कार्यकारी अभियंता ने लोक निर्माण विभाग कोड के प्रावधानों का पालन किए बिना ठेकेदार से बैंक गारंटी स्वीकार की। कार्यकारी अभियंता ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि जोखिम एवं लागत पर शेष कार्य के आवंटन के कारण राशि अभी भी वसूलनीय थी। ह.श.वि.प्रा. के अन्य कार्यालयों के साथ-साथ अन्य विभागों के साथ पत्राचार किया गया था, लेकिन उनके विरूद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और बैंक गारंटी की राशि भी वसूलनीय थी। उत्तर केवल लेखापरीक्षा बिंदु को मजबूत करता है कि कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार से ₹ 1.61 करोड़ की वसूली के लिए प्रयास नहीं किए थे और नकली बैंक गारंटी के लिए पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की थी। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई थी।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (जनवरी 2021); और उसके बाद मार्च और अगस्त 2021 में अनुस्मारक जारी किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2021)।

मुख्य प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. ने अपने उत्तर (जून 2021) में बताया कि दोषी से वसूली के प्रयास किए जाएंगे और बैंक गारंटी के मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जारीकर्ता बैंक के उच्च प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था।

एग्जिट कांफ्रेंस (अगस्त 2021) के दौरान, विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि यह मूल ठेकेदार द्वारा अनुबंध के उल्लंघन का मामला था और बैंक गारंटी के संबंध में मामला प्रक्रियाधीन था।

सिफारिशः राज्य सरकार मूल ठेकेदार के विरूद्ध वसूली हेतु कठोर कार्रवाई न करने तथा राज्य को हानि पहुंचाने वाली जाली निष्पादन बैंक गारंटी को स्वीकार करने के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता का उत्तरदायित्व नियत करने पर विचार करे। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए और सरकारी विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जाए।

श्रम विभाग

2.6 अस्वीकृत चेकों के विरुद्ध नियोक्ताओं से वसूली योग्य राशि

श्रम कल्याण बोर्ड को ₹ 1.54 करोड़ की हानि हुई क्योंकि 1,057 नियोक्ताओं द्वारा जमा किए गए चेक बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे। राशि को न तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किया गया और न ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत चूककर्ताओं को दंडित करवाने के लिए समय पर कार्रवाई की गई थी।

पंजाब श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1965 की धारा 3 (1) हरियाणा राज्य में श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए श्रम कल्याण कोष के गठन का प्रावधान करती है। निधि के प्रबंधन के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार एक बोर्ड की स्थापना करेगी जिसे 'हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड' के नाम से जाना जाएगा, जिसमें बारह सदस्य[12] होंगे (धारा 4)। बोर्ड एक कल्याण आयुक्त की नियुक्ति करेगा, जो बोर्ड का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा (धारा 14)। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत बनाए गए पंजाब श्रम कल्याण कोष नियम, 1966 के नियम 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक नियोक्ता कल्याण आयुक्त को कर्मचारियों से वसूले गए सभी जुर्माने, नियोक्ता द्वारा धारित सभी अवैतनिक संचय तथा नियोक्ता और कर्मचारियों के मासिक अंशदान[13] का भुगतान[14] करेगा। कल्याण आयुक्त सभी प्राप्तियों को बैंक खाते में जमा करेगा और निधि के खातों का संचालन करेगा। अधिनियम की धारा 9 ए (3) में प्रावधान है कि भुगतान में चूक के मामले में नियोक्ता बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 20 बोर्ड को भू-राजस्व के बकाया के रूप में निधि में देय राशि की वसूली के लिए अधिकृत करती है। इसके अतिरिक्त, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 में ऐसी अवधि के कारावास का प्रावधान है जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है जो चेक की राशि से दोगुना हो सकता है या दोनों जहां धन की कमी के कारण चेक अनादरित हो जाता है, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता चेक के अनादर के बारे में सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर एक लिखित नोटिस के माध्यम से चेक के भुगतानकर्ता से भुगतान की मांग करता है।

हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2020) के दौरान यह देखा गया था कि अप्रैल 2008 और मार्च 2020 की अवधि के दौरान 1,057 नियोक्ताओं से

---

[12] चार सदस्य प्रत्येक नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में तथा चार स्वतंत्र सदस्य जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं।

[13] अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने ₹ 25 की सीमा के अधीन अपने वेतन या मजदूरी या किसी भी पारिश्रमिक के 0.25 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना होगा और प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में हर महीने निधि में ऐसे कर्मचारी द्वारा अंशदान की गई राशि से दोगुनी राशि का अंशदान करेगा।

[14] नकद अथवा मनीआर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अधिसूचित बैंक पर आहरित चेक द्वारा जो कि कल्याण आयुक्त के पक्ष में विधिवत क्रॉस किया गया हो।

निधि में अंशदान के रूप में प्राप्त ₹ 1.54 करोड़ के चेक अस्वीकृत कर दिए गए थे और उन्हें बोर्ड के बैंक खाते में जमा नहीं किया गया था।

अस्वीकृत चेकों का वर्षवार विवरण

के दौरान प्राप्त चेक	नियोक्ताओं की संख्या	राशि (₹ लाख में)
अप्रैल 2008 और मार्च 2015 के मध्य	522	44.25
2015-16	80	10.21
2016-17	102	15.48
2017-18	88	11.14
2018-19	245	65.87
2019-20	20	7.30
कुल	1,057	154.25

चेकों के अनादर के लिए बैंकों द्वारा दिए गए मुख्य कारणों में हस्ताक्षरों का बेमेल होना, आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोकना, अपर्याप्त धनराशि, नाम बेमेल, खाता बंद करना इत्यादि थे। बोर्ड ने उन नियोक्ताओं को नोटिस जारी नहीं किया, जिनके चेक बैंकों द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे। इसके बजाय इसने क्षेत्र में श्रम कल्याण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियोक्ताओं से राशि वसूल करने के लिए सामयिक निर्देश जारी किए थे। अस्वीकृत चेकों के कारण वसूलनीय राशि मार्च 2020 तक संचित होकर ₹ 1.54 करोड़ हो गई।

इस प्रकार, जिन नियोक्ताओं के चेक बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे, उनसे राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठाने में विफलता के कारण बोर्ड को ₹ 1.54 करोड़ की हानि हुई।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अप्रैल 2021) में बताया कि ₹ 1.54 करोड़ में से ₹ 63.26 लाख की राशि वसूल कर ली गई है तथा शेष प्रकरणों में वसूली हेतु प्रयास किए जाएंगे। दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी।

सिफारिश: लेखापरीक्षा में इंगित किए जा रहे मुद्दों पर शुरू की गई कार्रवाइयों की निगरानी की जाए और उन्हें उचित समय में पूरा किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

2.7 पेशेवर सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान

महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने एक पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं के लिए अस्वीकार्य सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर, पेशेवर शुल्क और कर्मियों के प्रतिस्थापन पर पारिश्रमिक को कम नहीं करने के कारण ₹ 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) के अंतर्गत निदेशालय स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला मुख्यालयों पर 21 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों की स्थापना के लिए 49 एक्सपर्ट्स/स्पेसियलिस्ट्स उपलब्ध करवाने के लिए पेशेवर सेवा प्रदाता

के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध मार्च 2016 में आमंत्रित किया गया था। परियोजना प्रबंधन इकाई/परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए मांग आपूर्ति अंतर निर्धारित करने और तदनुसार स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को करने की आवश्यकता थी।

निविदा सूचना के जवाब में, केवल एक फर्म नामतः मैसर्ज आई.पी.ई. ग्लोबल लिमिटेड ने अपनी बिड प्रस्तुत की (मई 2016)। बिड को फिर से आमंत्रित किया गया (मई 2016) और फिर से मैसर्ज आई.पी.ई. ग्लोबल लिमिटेड ने बिड प्रस्तुत की। विचार-विमर्श के बाद, विभाग द्वारा वित्तीय बिड खोलने का प्रस्ताव दिया गया था क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का कार्य कर्मचारियों की कमी के कारण प्रभावित था और फर्म एक प्रसिद्ध कंपनी थी और ओडिशा जैसे अन्य राज्यों में ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही थी। इसके बाद, कार्य प्रदान किया गया (दिसंबर 2016) और अनुबंध मार्च 2017 में निष्पादित किया गया। सेवा प्रदाता (फर्म) द्वारा प्रस्तुत मूल्य बिड में सेवा कर घटक को अलग से दर्शाया गया था। निष्पादित अनुबंध एकमुश्त करार था जिसमें सभी कर शामिल थे अर्थात् अन्य के साथ सेवा कर भी सहमत मूल्य का एक हिस्सा था। मूल्य बातचीत के बाद तय किया गया था। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने मार्च 2017 और दिसंबर 2019 के मध्य फर्म को ₹ 8.37 करोड़ का भुगतान किया। इसमें ₹ 1.15 करोड़ सम्मिलित थे जिसे अनुवर्ती अनुच्छेदों में विवरण के अनुसार अधिक भुगतान के रूप में पहचाना गया था:

i) *सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर के कारण अधिक भुगतान*

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं (दिनांक 28 जून 2017 के साथ पठित दिनांक 20 जून 2012 की अधिसूचना) के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली मैनपावर सेवाओं को सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी। लेखापरीक्षा ने नोटिस किया कि फर्म को ₹ 12.18 लाख का भुगतान किया गया था जिसे मार्च 2017 और दिसंबर 2017 के मध्यावधि के लिए सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर के साथ पहचाना जा सकता था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बिड में पारिश्रमिक सभी करों और अन्य वैधानिक देयताओं को मिलाकर एकमुश्त आधार पर उद्धृत किया गया था और फर्म ने लागू सेवा कर जमा किया था। चूंकि फीस एकमुश्त दरों के आधार पर निर्धारित की गई थी और सहमति व्यक्त की गई थी, पेशेवर सेवा प्रदाता ने देय एकमुश्त राशि के आधार पर अपने चालानों को प्रभारित करना जारी रखा। उत्तर सही नहीं था क्योंकि फर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त थी। इस प्रकार निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा फर्म को ₹ 12.18 लाख (मार्च से दिसंबर 2017) का भुगतान अनुबंध के अंतर्गत एकमुश्त राशि में शामिल होने के बावजूद भारत सरकार की अधिसूचना के साथ असंगत है। यह पेशेवर सेवा प्रदाता के साथ मूल्य को अंतिम रूप देते समय विभाग द्वारा मूल्य निर्धारण में कमी के कारण है।

ii) पेशेवर फीस के कारण अधिक भुगतान

जून 2017 तक, फर्म ने 15 प्रतिशत की दर से पेशेवर फीस और सेवा कर को अलग-अलग दिखाते हुए तैनात एक्सपर्ट्स/स्पेसियलिस्ट्स के मासिक बीजक प्रस्तुत किए। जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया गया था। फर्म ने जुलाई और दिसंबर 2017 के मध्य की अवधि के लिए अपने बीजक प्रस्तुत किए, जिनमें 18 प्रतिशत की दर से पेशेवर फीस और वस्तु एवं सेवा कर का दावा किया गया था। विभाग ने इस दलील पर कि सेवा कर की दर 15 प्रतिशत की दर से तय की गई थी, दावा किए गए वस्तु एवं सेवा कर के तीन प्रतिशत की कटौती के बाद फरवरी 2018 में फर्म को भुगतान जारी किया। यह महसूस करने पर कि इन सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी, फर्म ने जनवरी 2018 से अपने बीजकों में शून्य वस्तु एवं सेवा कर का दावा करना शुरू कर दिया और पेशेवर फीस को 15 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। इस प्रकार, बिल संपूर्ण उद्धृत राशि के लिए शीर्ष-पेशेवर फीस के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए थे जिसमें 15 प्रतिशत की दर पर सेवा कर शामिल था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय तत्परता के साथ कार्य करने में विफल रहे और प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान करना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप पेशेवर सेवाओं के लिए ₹ 96.75 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि कर निहितार्थ से संबंधित जोखिम केवल पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाना था और करार में बाद में कोई संशोधन नहीं किया गया था। इसलिए, निदेशालय ने मूल सहमति और आवंटित दरों के आधार पर पेशेवर सेवा प्रदाता के बिलों का भुगतान करना जारी रखा क्योंकि कराधान और वैधानिक प्रावधानों में शामिल जोखिम एवं लाभ को अकेले पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाना था।

उत्तर भ्रामक था क्योंकि सेवा कर को 15 प्रतिशत की दर पर अलग से दिखाया गया था और वित्तीय बिड के साथ-साथ फर्म द्वारा उद्धृत मोल-भाव दरों में शामिल किया गया था। निर्विवाद रूप से, नगर पालिकाओं की सेवाओं को सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी इसलिए किसी भी रूप में सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर के कारण फर्म को कोई भुगतान देय नहीं था, लेकिन फर्म ने अपनी पेशेवर फीस को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया। विभाग को मूल्य निर्धारण में गलती को पहचानना चाहिए था और यह स्वीकार करने के बाद अनुबंधित मूल्य में सुधार करना चाहिए था कि पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जा रही इन सेवाओं को सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्राप्त थी।

iii) मुख्य कार्मिकों के प्रतिस्थापन के कारण अधिक भुगतान

प्रस्ताव हेतु अनुरोध के पैरा 2.25 के अनुसार, स्वच्छता एक्सपर्ट सह टीम लीडर के प्रतिस्थापन की अनुमति असाधारण परिस्थितियों में दी जानी थी, यदि लीडर अपरिहार्य कारणों से उपलब्ध न हो तो उसके समान या उससे बेहतर योग्य और अनुभवी कार्मिक को विभाग की संतुष्टि के

लिए प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुल पारिश्रमिक के दो प्रतिशत तक पारिश्रमिक की कमी के अधीन एक बार प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सकती है।

यह नोटिस किया गया कि संविदात्मक खंड के उल्लंघन में स्वच्छता एक्सपर्ट सह टीम लीडर को तीन बार प्रतिस्थापित किया गया था, वह भी पारिश्रमिक में कटौती के बिना, जिसके परिणामस्वरूप फर्म को ₹ 6.15 लाख का अधिक भुगतान हुआ। प्रतिस्थापन के कारण, असाधारण परिस्थितियां, स्थानापन्न उम्मीदवारों की योग्यता एवं अनुभव और ऐसे प्रतिस्थापन के लिए विभाग के अनुमोदन अभिलेख में नहीं थे। इनके अभाव में प्रतिस्थापन अनियमित और संविदात्मक प्रावधानों के सकल उल्लंघन में थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2021) कि एक्सपर्ट का प्रतिस्थापन असाधारण अप्रत्याशित परिस्थितियों में और परियोजना कार्यों में सुधार के इरादे से और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद किया गया था। उत्तर टिकाऊ नहीं था क्योंकि प्रस्ताव हेतु अनुरोध के पैरा 2.25 में निर्धारित पारिश्रमिक में दो प्रतिशत की कमी की जानी थी।

इस प्रकार, सेवा कर/वस्तु एवं सेवाकर, पेशेवर फीस और प्रतिस्थापन पर पारिश्रमिक की कटौती न करने के कारण पेशेवर सेवाओं के लिए ₹ 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

सिफारिश: विभाग चूकों के लिए संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व नियत करे और पेशेवर सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने पर विचार करे।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.8 भूमि की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

राज्य सरकार की भूमि क्रय नीति का उल्लंघन कर भूस्वामियों को भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य पर विचार किए बिना एग्रीगेटर को एकमुश्त भुगतान कर भूमि की खरीद पर **₹** 1.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से प्रस्तावित भूमि की खरीद के लिए एक नीति बनाई (फरवरी 2017)। नीति के अनुसार, प्रशासनिक विभाग समाचार पत्रों और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तकनीकी रूप से व्यापक व्यवहार्य क्षेत्र में विकास परियोजना का पता लगाने के अपने प्रयोजन का संकेत देगा। इसके जवाब में, भूस्वामी परियोजना के लिए स्वेच्छा से या किसी एग्रीगेटर[15] के माध्यम से अपनी जमीन की पेशकश कर सकते हैं। विभाग भौतिक रूप से

[15] एग्रीगेटर ऐसा व्यक्ति है जिसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम द्वारा परियोजना के विकास के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन बेचने के इच्छुक विभिन्न भूस्वामियों की भूमि को एकत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए सुविधा प्रभारों का भुगतान एग्रीगेटर को किया जाएगा जो पंजीकरण, म्यूटेशन और कब्जे की सुपुर्दगी के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

साइट का निरीक्षण करेगा और प्रस्तावों में दरों की तर्कसंगतता की जांच करेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति योग्य विक्रेताओं और एग्रीगेटरों के विवरण के साथ विभागीय प्रस्ताव की संवीक्षा करेगी। सचिवों की समिति से मंजूरी मिलने पर विभाग अंतिम रूप से तय दरों पर खरीद को प्रभावी बनाने के लिए मामले को मंत्री, राजस्व और आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त भूमि खरीद समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की नीति में ढील देते हुए राज्य सरकार (अप्रैल 2017) ने जल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्य करने के लिए इच्छुक भूस्वामियों से कलेक्टर दर[16] पर भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की।

प्रमुख अभियंता, जन स्वस्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जिला पलवल के पृथला एवं पलवल ब्लॉक और जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गुणवत्ता प्रभावित 84 गांवों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए ₹ 24.22 करोड़ की एक परियोजना[17] को अनुमोदन दिया (जून 2017)। फरवरी 2017 की नीति के साथ-साथ अप्रैल 2017 में कलेक्टर दरों पर भूमि क्रय करने की अनुमति का पालन करते हुए अपेक्षित भूमि क्रय करने के स्थान पर 3.7 एकड़ भूमि की खरीद की मद को विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना का हिस्सा बनाया गया था। निविदाएं जुलाई 2017 में खोली गईं और जुलाई 2017 में एक एजेंसी को कार्य ₹ 28.68 करोड़ में आवंटित किया गया जिसमें ₹ 0.71 करोड़ प्रति एकड़ की दर से 3.70 एकड़ भूमि की खरीद के लिए ₹ 2.63 करोड़ शामिल थे। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान भूमि की कलेक्टर दर ₹ 0.50 करोड़ प्रति एकड़ थी। एजेंसी ने ₹ 24.87 करोड़ के कार्य को निष्पादित किया (मार्च 2021)।

एजेंसी ने फरवरी तथा जून 2018 के मध्य ₹ 1.51 करोड़ में 3.591 एकड़ भूमि खरीदी *(परिशिष्ट 2.7)*। तद्नुसार, विभाग ने एजेंसी को ₹ 0.71 करोड़ प्रति एकड़ की दर से ₹ 2.55 करोड़ (फरवरी 2019) अर्थात् ₹ 1.04 करोड़[18] की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि बरसाती कुओं के निर्माण के प्रयोजन के लिए भूमि का अधिग्रहण यादृच्छिक रूप से नहीं किया जा सकता है और साइट के चयन में बहुत समय, विशेषज्ञों की टीम और अत्यधिक व्यय शामिल है। इसलिए, इस प्रयोजन के लिए भूमि खरीदने का यह सबसे अच्छा किफायती और कम समय लेने वाला तरीका था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि भूमि की खरीद के लिए एग्रीगेटर के रूप में कार्य कर रहे ठेकेदार को एकमुश्त दर का भुगतान करने के बजाय विभाग को सरकारी परियोजना के लिए क्रय हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के लिए सुविधा प्रभारों का भुगतान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार को दी गई

---

[16] कलेक्टर दर ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपायुक्त (कलेक्टर) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित मूल्य है।

[17] इसमें दो बरसाती कुओं का निर्माण, दो नलकूपों की स्थापना, ग्राम मोहना में मुख्य बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण, बरसाती कुओं के लिए पम्पिंग स्टेशन, पम्पिंग मशीनरी एवं स्वतंत्र फीडर इत्यादि का निर्माण शामिल है।

[18] ₹ 2.55 करोड़ - ₹ 1.51 करोड़ = ₹ 1.04 करोड़।

भूमि की लागत की तुलना भूमि मुआवजा अधिनियम से नहीं की जा सकती क्योंकि भूमि की वास्तविक लागत उपलब्ध है।

इस प्रकार, भूमि की खरीद के लिए सरकार की नीति का पालन न करके तथा भूस्वामियों को भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य पर विचार किए बिना ठेकेदार को एकमुश्त भुगतान करके जन अभियांत्रिकी विभाग ने भूमि की खरीद पर ₹ 1.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

सिफारिश: राज्य सरकार, सरकार की नीतियों के अनुरूप एक उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया विकसित करने पर विचार करे।

2.9 अक्रियाशील जल कार्यों पर व्यर्थ व्यय

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 2, हिसार ने क्षेत्र की स्थिति का पता लगाए बिना ग्राम खैरी (हिसार) के जल निर्माण कार्यों के संवर्धन/नवीनीकरण पर ₹ 1.01 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप जल निर्माण कार्य गांव के तालाब के अपशिष्ट जल में डूबे रहे।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग कोड (कोड) के पैरा 10.1.3 में प्रावधान है कि किसी भी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय, क्षेत्र की स्थिति (विशेष रूप से जल आपूर्ति योजनाओं के लिए) का पता लगाने के लिए साइट का निरीक्षण किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए (कोड का पैरा 10.12.2 (जी)) कि भंडारण एवं अवसादन टैंक उप-मृदा जल स्तर के हस्तक्षेप में नहीं था। आगे, कोड के पैरा 6.5.1 में यह प्रावधान है कि कार्यकारी अभियंता अपने मंडल के भीतर सभी कार्यों के निष्पादन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। वह करारों के प्रबंधन, कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें उचित अवधि के भीतर समय पर पूरा करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल-2, हिसार (कार्यकारी अभियंता) के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा (मार्च 2018) के दौरान तथा मार्च 2021 के दौरान प्राप्त की गई अनुवर्ती सूचना में यह पाया गया था कि कार्यकारी अभियंता ने खैरी में जल निर्माण कार्यों के संवर्धन/नवीनीकरण के लिए ₹ 0.91 करोड़ का एक अनुमान[19] प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति को 52 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करना था। अनुमान को अप्रैल 2013 में जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना को दिसंबर 2013 में प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ₹ 0.80 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था। एक ठेकेदार को फरवरी 2014 में ₹ 1.02 करोड़ की अनुबंध

[19] रीइनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट इनलेट चैनल, एक नया ब्रिक लाइनेड भंडारण एवं अवसादन टैंक, एक रीइनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट फिल्टर बेड, दो साफ पानी के टैंकों की मरम्मत, पंप चैंबर की मरम्मत, स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत, चारदीवारी की मरम्मत/निर्माण और पम्पिंग मशीनरी के प्रतिस्थापन के लिए उपलब्ध कराए गए अनुमान।

राशि के लिए नौ महीने (अर्थात दिसंबर 2014 तक) की समय सीमा के साथ कार्य आवंटित किया गया था जिसे अगस्त 2015 तक बढ़ा दिया गया था।

नवंबर 2014 में एक दौरे के दौरान, मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वस्थ अभियांत्रिकी विभाग ने देखा कि खैरी के जल निर्माण कार्य गांव के तालाब से जुड़े हुए थे और जल निर्माण कार्यों की सभी संरचनाएं गांव के तालाब के गंदे पानी में डूबी हुई थीं। उन्होंने ब्रिक लाइनेड भंडारण एवं अवसादन टैंक के बजाय रीइनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट भंडारण एवं अवसादन टैंक के निर्माण, जल निर्माण संरचनाओं से अपशिष्ट जल निकालने और तालाब के पानी से जल निर्माण कार्यों की सुरक्षा के लिए मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए अनुमान को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया। तदनुसार, ₹ 1.23 करोड़ के संशोधित अनुमान को मार्च 2015 में जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया गया था। ठेकेदार ने ₹ 1.01 करोड़ की राशि का कार्य[20] निष्पादित किया था, जिसका भुगतान जून 2015 में तीसरे चालू बिल के द्वारा किया गया था।

तथापि, अगस्त 2018 में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि तालाब का अपशिष्ट जल, जल निर्माण कार्यों में प्रवेश कर गया था और संरचनाएं अभी भी अपशिष्ट जल में डूबी हुई थीं। इस समस्या का समाधान करने के लिए नवनिर्मित भंडारण एवं अवसादन टैंक को क्रियाशील बनाने के लिए रिटेनिंग वॉल के प्रावधान के साथ अनुमान को फिर से संशोधित किया गया (जनवरी 2019)। इसे अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना था (मार्च 2021)। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ साइट के भौतिक सत्यापन (मार्च 2021) के दौरान यह पाया गया था कि सभी जल निर्माण कार्य गांव के तालाब के अपशिष्ट जल में डूबे हुए थे जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों से दर्शाया गया है:

तालाब के अपशिष्ट जल से भरा भंडारण एवं अवसादन टैंक (16 मार्च 2021)

इस प्रकार, कार्यकारी अभियंता की ओर से अनुमान तैयार करने से पूर्व स्थल की स्थिति को ठीक से सुनिश्चित करने और व्यय करने में विफलता के कारण जल निर्माण कार्यों की वृद्धि और मरम्मत पर ₹ 1.01 करोड़ की राशि व्यर्थ हो गई थी।

[20] रीइनफोर्सड सीमेंट कंक्रीट भंडारण एवं अवसादन टैंक का निर्माण: ₹ 87.15 लाख, मिट्टी का बांध: ₹ 2.84 लाख, पानी को बाहर निकालना: ₹ 4.95 लाख और पंपिंग मशीनरी प्रदान करना: ₹ 5.88 लाख।

सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2021) में बताया कि भूजल, निर्मित संरचना में जल के साथ मिल रहा है। भूजल खारा है और पीने योग्य नहीं है। नई संरचनाओं के निर्माण के प्रयास किए गए थे लेकिन उच्च जल स्तर और पानी के प्रवाह के कारण सफल नहीं हुए।

सिफारिश: राज्य सरकार अक्रियाशील जल निर्माण कार्यों पर व्यर्थ व्यय करने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व नियत करने पर विचार करे।